

130

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**आदेश**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रण में कार्यरत बिहार आपूर्ति सेवा के पदाधिकारियों का स्पैरो प्रणाली के ई0-पार पर कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपलेखन हेतु विभागीय पत्र संख्या-2952 दिनांक 07.07.2023 के द्वारा रिपोर्टिंग अफसर, रिव्यूइंग अफसर तथा एक्सेप्टिंग अफसर का निर्धारण करते हुए सभी नियंत्री पदाधिकारी को संसूचित किया जा चुका है।

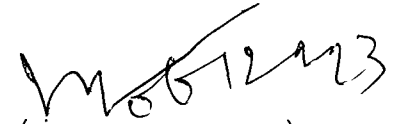
02. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय स्तर पर) पर बिहार आपूर्ति सेवा के पदाधिकारियों हेतु स्वीकृत बल के विरुद्ध पदस्थापित आपूर्ति निरीक्षकों/पदाधिकारियों का स्पैरो प्रणाली के ई0-पार पर कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपलेखन हेतु रिपोर्टिंग अफसर, रिव्यूइंग अफसर तथा एक्सेप्टिंग अफसर का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।

03. अतः खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय स्तर पर) पर बिहार आपूर्ति सेवा के पदाधिकारियों हेतु स्वीकृत बल के विरुद्ध पदस्थापित आपूर्ति निरीक्षकों/पदाधिकारियों का स्पैरो प्रणाली के ई0-पार पर कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपलेखन हेतु निम्न रूप से रिपोर्टिंग अफसर, रिव्यूइंग अफसर तथा एक्सेप्टिंग अफसर का निर्धारण किया जाता है :

| क्र० सं० | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों का पदनाम | Reporting Officer             | Reviewing Officer                | Accepting Officer                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 01       | आपूर्ति निरीक्षक                                                                                                | प्रशाखा पदाधिकारी/अवर सचिव    | विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव    | संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/सचिव |
| 02       | प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी                                                                                        | विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव | संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव       |
| 03       | सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी                                                                                    | विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव | संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव       |

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

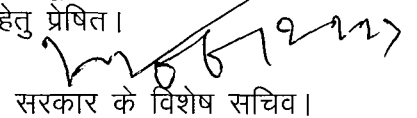


(संजय कुमार उपाध्याय)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- प्र03-प्रोन्नति-01/2023 5 2 9 8 खाद्य/पटना, दिनांक-06/12/2023

प्रतिलिपि:- विभाग के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव।